न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.41/प्रा.पत्र/2023 (GCMS No. 2023/61)	06.02.2023	30.06.2025

बाबूलाल जागा पुत्र हजारीलाल जाति जागा,
निवासी ग्राम ढाकणी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

— याची

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
   जर्ये सहायक अभियन्ता, ज.वि.वि.नि.लि. हिण्डोली जिला बून्दी।
2. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
   जर्ये अध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक, ज.वि.वि.नि.लि. जयपुर।

— विपक्षीगण

याचिका अन्तर्गत नियम 3 (A) (B) द वर्कस ऑफ लाईसेन्सी रूल्स, 2006 वास्ते रोके जाने बिजली के खम्भे लगाये जाने से एवं लगाये गये खम्भे व लाईनों को हटाये जाने।

उपस्थित—
याची की ओर से श्री श्रीनाथ किशोर गुप्ता, एडवोकेट।
विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से श्री भूपेन्द्र सहाय सक्सैना, एडवोकेट।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाये गये द वर्कस ऑफ लाईसेन्सी रूल्स, 2006 के नियम 1 (ए) व (बी) के अन्तर्गत पेश किया गया। याचिका में याची द्वारा विपक्षीगण को उसकी खातेदारी की भूमि पर विद्युत खम्भे नहीं रोपे जाने तथा उस पर विद्युत लाईन नहीं डाली जाने हेतु पाबन्द किये जाने, पूर्व में खाली गयी लाईन व खम्भे हटाये जाने तथा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कराये जाने का निवेदन किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

[illegible]

याचिका पत्र प्राप्त होने पर प्रतिपक्षी [illegible] रजिस्टर्ड डाक से [illegible] 2025 को [illegible] किया गया। विपक्षीगण [illegible] विपक्षीगण की ओर से दिनांक 04.07.2025 को जवाब पेश किया [illegible] की गई याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् प्रकरण में उभय पक्ष [illegible] सुनी गयी।

अधिवक्ता याची के द्वारा याचिका पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि याची की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. [illegible] में स्थित है। विपक्षीगण अपने उपभोक्ताओं [illegible] विद्युत वितरण का कार्य करते है। इस हेतु विद्युत अधिनियम 2003 बना हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा [illegible] सरकार द्वारा [illegible] टेलीग्राफ अधिनियम 1885 बनाये हुए है जो [illegible] प्रभावी है। विपक्षीगण द्वारा याची की खातेदारी की भूमि पर बिना याची की अनुमति के खम्भे गाड़ कर विद्युत लाईन डालना चाहते है एवं इस हेतु किसी ठेकेदार के माध्यम से [illegible] कार्य करना चाहते है। [illegible] भूमि पर खम्भे गाड़ने एवं विद्युत लाईन डालने से याची सहमत नहीं है और न ही याची ने [illegible] विपक्षीगण द्वारा न तो [illegible] लिखित अनुमति ली गई और न ही किसी प्रकार का [illegible] किराया अथवा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कराया है और न ही इस हेतु कोई आवेदन [illegible] किया गया है। विपक्षीगण द्वारा [illegible] के एक [illegible] तथा उक्त भूमि के [illegible] किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के [illegible] याची को क्षतिपूर्ति दिये बिना [illegible] 33 के.वी. एवं 11 के.वी. विद्युत लाईन [illegible] है। जिससे याची की खातेदारी की भूमि के [illegible] उपयोग एवं उपभोग से याची वंचित है तथा याची को क्षति हो रही है। [illegible] याची [illegible] क्षतिपूर्ति अथवा किराये की दर से [illegible] प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त जब तक विपक्षीगण उक्त कृषि भूमि से [illegible] लाईन नहीं हटाते तब तक भी याची विपक्षीगण से [illegible] क्षतिपूर्ति [illegible] प्राप्त करने का अधिकारी है। इस कारण [illegible] याची को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विपक्षीगण को उसकी खातेदारी की भूमि पर [illegible] अनुमति के खम्भे गाड़ने एवं खम्भों पर [illegible] क्षतिपूर्ति प्राप्त करे [illegible] विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि [illegible] भूमि पर किसी प्रकार के खम्भे नहीं [illegible] विद्युत लाईन नहीं डाली जावे [illegible] क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि कई वर्षो पूर्व से ही स्थापित 11 के.वी. जेल फीडर की विद्युत लाईन जो राजकीय कारागृह बून्दी की स्थापना के समय से ही राजकीय कारागृह बून्दी को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवा रही है, जिसका एक पोल याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर वर्षो पूर्व से ही स्थापित है। जिससे याचिकाकर्ता को कृषि कार्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। वह अपनी कृषि भूमि पर स्वैच्छिक रूप से उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। इस स्थापित विद्युत पोल एवं विद्युत संचार को याचिकाकर्ता इस आवेदन पत्र के माध्यम से हटवाने का अधिकारी नहीं है और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त पोल के अतिरिक्त वर्तमान में किसी प्रकार से कोई नवीन खम्भे गाडकर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर कोई नवीन विद्युत लाईन नहीं खींची जा रही है।

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि वर्तमान में जल संसाधन विभाग द्वारा सथूर माताजी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संचालन हेतु आवेदित विद्युत कनेक्शन की स्थापना हेतु 11 के.वी. विद्युत लाईन की स्थापना का कार्य विपक्षी जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है, उक्त विद्युत लाईन एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिगृहित भूमि पर ही खम्भे व टावर गाडकर खीची जा रही है, जिसका कोई खम्भा या टावर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी आधार व सबूत के महज सार्वजनिक उपयोगी कार्य में अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से यह याचिका पेश की गई है जो विशेष हर्जाना सहित निरस्त की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ''द वर्कस ऑफ लाईसेन्सीज रूल्स, 2006'' पेश किया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 922, 927, 928 वाकेग्राम ढाकणी पर विपक्षीगण द्वारा विद्युत खम्भे नहीं रोपे जाने तथा उस पर विद्युत लाईन नहीं डाली जाने हेतु पाबन्द किये जाने तथा पुराने खम्भो को हटाये जाने एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। याचिका का नोटिस प्राप्त होने पर कनिष्ठ अभियंता (प.वस.), जयपुर डिस्कॉम हिण्डोली द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण कर तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 28.2.23 में अंकित किया है कि एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर वर्तमान में सथूर माताजी लिफ्ट परियोजना के लिए आवेदित विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत लाईन खीचने का कार्य किया जा रहा है। उक्त सथूर माताजी लिफ्ट परियोजना के लिए आवेदित विद्युत कनेक्शन हेतु खीची जा रही उक्त विद्युत

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

लाईन का कोई पोल अथवा टावर प्रार्थी की कृषि भूमि पर स्थापित नहीं हैं, अपितु उक्त विद्युत लाईन के पोल एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर खीची जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के पास कई वर्षो से बून्दी 132 के.वी.सब स्टेशन से आ रही 33 के.वी.सथूर की विद्युत लाईन स्थापित है जो प्रार्थी की भूमि पर स्थापित न होकर एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर स्थापित है। उक्त मौका रिपोर्ट के खंडन में प्रार्थी की ओर से न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये और न ही कोई शपथ पत्र पेश किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरानी स्थापित 33 के.वी. विद्युत लाईन एवं सथूर माताजी लिफ्ट परियोजना हेतु स्थापित की जा रही नवीन विद्युत लाईन का कोई पोल या टावर प्रार्थी की कृषि भूमि में नहीं लगाया गया है। अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस बताया गया कि उक्त नवीन विद्युत लाईन का कोई पोल या टावर प्रार्थी की कृषि भूमि पर लगाया जाना प्रस्तावित भी नहीं है। वर्षो पूर्व स्थापित एक विद्युत पोल का प्रार्थी को विद्युत विभाग की ओर से वार्षिक किराया या क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करवाया जाकर प्रार्थी को भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त कृषि भूमि पर वर्षो पूर्व से 01 विद्युत पोल स्थापित होना स्वीकार किया गया है। हालांकि खातेदार द्वारा उक्त विद्युत पोल लगाते समय किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि बाबत कोई आवेदन तत्समय पेश किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में काफी वर्षो पूर्व स्थापित विद्युत पोल के लिए प्रार्थी अब किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार से कोई नवीन खम्भे गाडकर याचिकाकर्ता की कृषि भूमि पर कोई नवीन विद्युत लाईन नहीं खींची जा रही है। ऐसे में विपक्षीगण को इस कार्य हेतु रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। पुराना स्थापित विद्युत पोल एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर स्थापित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है, किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में यदि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का विद्युत पोल या टावर स्थापित किया जाता है तो विभागीय नियमानुसार इस संबंध में किराया या क्षतिपूर्ति राशि देय हो तो हितबद्ध व्यक्ति को नियमानुसार भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी